Testwale Current Affairs PDF

Current Affairs search results for: "NATIONAL GREEN TRIBUNAL"

1. [illegible] (Aug. 22, 2023)

NGT-action-regarding-Kuldiha-Wildlife-Sanctuary-Unauthorized-mining

[illegible]

[illegible]

- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]

[illegible]:

- [illegible]
- 272.75 [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]

[illegible]:

- [illegible]
- [illegible]

2. [illegible] (July 7, 2023)

National-Green-Tribunal-(NGT)_hindi

[illegible]

[illegible]:

- [illegible] 2018 [illegible]; 6 [illegible] 2023 [illegible]
- [illegible], [illegible] 6 [illegible] 2023 [illegible]
- [illegible] 2020 [illegible]
- [illegible] 1975 [illegible]
- [illegible] 1978 [illegible]
- 1984 [illegible]
- [illegible]
- [illegible] 2018 [illegible]

[illegible]:

- [illegible] 2010 [illegible], 2010 [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]

- **[illegible]:** [illegible]

3. [illegible] ₹10 [illegible] (March 31, 2023)

NGT slaps ₹10 crore penalty on Kerala government for failure to protect Ramsar sites

[illegible] **(NGT)** [illegible] **10** [illegible]

[illegible]

- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible] **2002** [illegible]
- [illegible] 120 [illegible] **85%** [illegible]
- [illegible] **2002** [illegible]
- [illegible]

[illegible]**?**

- [illegible]
- [illegible]
- [illegible] "[illegible]"

रामसर स्थल क्या हैं?

- रामसर साइट एक आर्द्रभूमि साइट है जिसे विशेष रूप से **रामसर कन्वेंशन के तहत जलपक्षी आवास** के रूप में अंतर्राष्ट्रीय महत्व के लिए नामित किया गया है।
- रामसर कन्वेंशन **यूनेस्को द्वारा 1975 में स्थापित एक अंतर-सरकारी पर्यावरण संधि** है।
- रामसर साइट **पारिस्थितिकी, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान या जल विज्ञान** के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्रभूमि को संदर्भित करता है।

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल

- यह **पर्यावरण संरक्षण और वन संरक्षण** से संबंधित मामलों को देखता है।
- इसे 2010 में **नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010** के तहत स्थापित किया गया था।
- ट्रिब्यूनल **सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908** के तहत निर्धारित प्रक्रिया से बाध्य नहीं है, लेकिन **प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों** द्वारा निर्देशित है।
- **नई दिल्ली** ट्रिब्यूनल की बैठक का मुख्य स्थान है और **भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई** ट्रिब्यूनल की बैठक के अन्य चार स्थान हैं।
- अध्यक्ष: **न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल**

4. ओडिशा सरकार ने सुकापाइका नदी पुनरुद्धार योजना पर काम करना शुरू किया (Oct. 27, 2022)

Odisha Government

ओडिशा सरकार ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के एक निर्देश के बाद **सुकापाइका नदी पुनरुद्धार योजना** पर काम करना शुरू कर दिया है।

महत्वपूर्ण तथ्य

- सुकापाइका नदी जो **70 साल पहले** बहना बंद हो गई थी, का कायाकल्प किया जाना तय है क्योंकि ओडिशा सरकार ने अपनी पुनरुद्धार योजना पर काम करना शुरू कर दिया है।

सुकापाइका नदी के बारे में

- यह ओडिशा में शक्तिशाली **महानदी नदी** की कई वितरणों में से एक है।

- [illegible] **1952** [illegible], [illegible]
- [illegible] **1957** [illegible] – [illegible] **[illegible]** – [illegible]
- [illegible]
- [illegible] **40** **[illegible]** **([illegible])** [illegible]
- [illegible]–[illegible]

[illegible]

- [illegible] **[illegible]**, **[illegible]**, **[illegible]**, **[illegible]**
- [illegible]

5. **[illegible]** **2900** **[illegible]** **(Oct. 15, 2022)**

[illegible]

[illegible] 2,856 [illegible] 540 [illegible]

[illegible] 500 [illegible] , [illegible] 2900 [illegible]

[illegible]

[illegible]

एनजीटी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा नगर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 और अन्य पर्यावरणीय पहलुओं के अनुपालन की निगरानी कर रहा है।

राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना **राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010** के तहत 2010 में स्थापित किया गया था। यह पर्यावरण संरक्षण और वन के संरक्षण से संबंधित मामलों का निपटारा करता है ।

इसका मुख्यालय, **नई दिल्ली** है ।

एनजीटी के अध्यक्ष: **न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल**

6. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में विफलता के लिए एनजीटी ने दिल्ली सरकार पर 900 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया (Oct. 12, 2022)

[राष्ट्रीय हरित अधिकरण](#) (एनजीटी) ने 12 अक्टूबर 2022 को पारित एक आदेश में दिल्ली सरकार पर ठोस नगरपालिका कचरे के अनुचित प्रबंधन के लिए पर्यावरणीय मुआवजे के रूप में 900 करोड़ रुपये का जुर्माना करने का आदेश दिया है।"एनजीटी ने अपने आदेश में कहा कि "नगरिकों को शासन के कमी के कारण आपातकालीन स्थिति का सामना नहीं करना पड़ सकता है।

न्यायमूर्ति आदर्श गोयल की अध्यक्षता वाली एनजीटी पीठ ने दिल्ली के तीन लैंडफिल स्थलों- गाजीपुर, भलस्वा और ओखला में ठोस कचरे से निपटने के लिए उपचारात्मक कदम नहीं उठाने के लिए दिल्ली सरकार को जिम्मेदार ठहराया।

बेंच ने कहा ,इन तीन लैंडफिल स्थलों के कारण भूजल प्रदूषण के साथ-साथ मीथेन और अन्य हानिकारक गैसों का लगातार उत्सर्जन हो रहा है , जो दिल्ली के लोगों और पर्यावरण के लिए सीधा खतरा है।

बेंच ने दिल्ली सरकार को जुर्माने की राशि एक अलग खाते में जमा करने का निर्देश दिया, जिसका उपयोग दिल्ली के मुख्य सचिव द्वारा कचरे के उपचार और अन्य उपायों द्वारा पर्यावरण की बहाली के लिए किया जाएगा।

एनजीटी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा नगर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 और अन्य पर्यावरणीय मुद्दों के अनुपालन की निगरानी कर रहा है।

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल/राष्ट्रीय हरित अधिकरण

- यह पर्यावरण संरक्षण और वन के संरक्षण से संबंधित मामलों का निपटारा करता है ।
- इसे राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत 2010 में स्थापित किया गया था।
- **यह अधिकरण 1908 की नागरिक कार्यविधि के द्वारा दिए गए कार्यविधि से प्रतिबद्ध नहीं है लेकिन प्राकृतिक न्याय सिद्धांतों से निर्देशित होगा।**
- राष्ट्रीय हरित अधिकरण का मुख्यालय : **नई दिल्ली**
- भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में इसके बेंच हैं ।
- अध्यक्ष: न्यायमूर्ति **आदर्श कुमार गोयल**

7. [illegible] 3,800 [illegible] (Oct. 1, 2022)

[illegible] 1 [illegible] 2022 [illegible] **[illegible] 3,800 [illegible]**

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

8. [illegible] 2180 [illegible] (Sept. 23, 2022)

[illegible] **2,180** [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

महत्वपूर्ण तथ्य -

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल/राष्ट्रीय हरित अधिकरण :

- यह पर्यावरण संरक्षण और वन के संरक्षण से संबंधित मामलों का निपटारा करता है ।
- इसे राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत 2010 में स्थापित किया गया था।
- **यह अधिकरण 1908 के नागरिक कार्यविधि के द्वारा दिए गए कार्यविधि से प्रतिबद्ध नहीं है लेकिन प्राकृतिक न्याय सिद्धांतों से निर्देशित होगा।**
- राष्ट्रीय हरित अधिकरण का मुख्यालय : **नई दिल्ली**
- भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में इसके बेंच हैं ।
- अध्यक्ष : न्यायमूर्ति **आदर्श कुमार गोयल**

9. कचरा प्रबंधन में भारी अंतर के लिए एनजीटी ने बंगाल सरकार पर 3,500 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया (Sept. 5, 2022)

न्यायमूर्ति ए के गोयल की अध्यक्षता में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने ठोस और तरल अपशिष्ट उत्पादन और उपचार में भारी अंतर के लिए **पश्चिम बंगाल सरकार पर 3,500 करोड़ रुपये का जुर्माना** लगाया है।

एनजीटी के अनुसार , शहरी क्षेत्रों में 2,758 मिलियन लीटर प्रतिदिन (एमएलडी) सीवेज उत्पादन और 1505.85 (एमएलडी) की उपचार क्षमता में से केवल 1268 एमएलडी का उपचार किया जाता है, जिससे 1490 एमएलडी का एक बड़ा अंतर रह जाता है।

हरित पैनल ने कहा कि राज्य सरकार सीवेज और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाओं की स्थापना को प्राथमिकता नहीं दे रही है, हालांकि राज्य के 2022-2023 के बजट के अनुसार शहरी विकास और नगरपालिका मामलों पर 12,818.99 करोड़ रुपये का प्रावधान है।

यह देखते हुए कि स्वास्थ्य के मुद्दों को लंबे भविष्य के लिए टाला नहीं जा सकता, एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति एके गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि प्रदूषण मुक्त वातावरण प्रदान करना राज्य और स्थानीय निकायों की संवैधानिक जिम्मेदारी है।

राज्य सरकार को जुर्माने की राशि एक कोष में जमा करनी होगी जिसका उपयोग कचरे के उपचार संयंत्र के निर्माण के लिए किया जाएगा।

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल/राष्ट्रीय हरित अधिकरण :

- यह पर्यावरण संरक्षण और वन के संरक्षण से संबंधित मामलों का निपटारा करता है ।
- इसे राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत 2010 में स्थापित किया गया था।
- **ट्रिब्यूनल सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत निर्धारित प्रक्रिया से बाध्य नहीं है, लेकिन प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित है।**

- राष्ट्रीय हरित अधिकरण का मुख्यालय : नई दिल्ली
- भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में इसके बेंच हैं ।

अध्यक्ष: न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल

10. डिंडी लिफ्ट सिंचाई परियोजना पर तेलंगाना को पर्यावरण मंत्रालय का नोटिस (Jan. 24, 2022)

पर्यावरण और वन मंत्रालय ने हाल ही में तेलंगाना सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी किया है, जिसमें मंत्रालय ने उचित पर्यावरणीय मंजूरी लिए बिना **श्री रामराजू विद्यासागर राव डिंडी लिफ्ट सिंचाई परियोजना** के निष्पादन पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।

- आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण में शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद मंत्रालय ने ऐसा किया।
- डिंडी कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है और डिंडी लिफ्ट सिंचाई परियोजना नलगोंडा, तेलंगाना में स्थित है।
- इस परियोजना का उद्देश्य नलगोंडा, महबूबनगर और खम्मम क्षेत्रों के फ्लोरोसिस प्रभावित गांवों को पीने का पानी प्रदान करने और लगभग 3.40 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई करने के लिए वट्टेम में पलामुरु रंगारेड्डी के जलाशय से 30 टीएमसीएफटी (एक हजार मिलियन क्यूबिक फीट) पानी उठाना था।

पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए)

- पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) को नदी विकास परियोजनाओं के संबंध में 1976-77 में भारत में पेश किया गया था।
- बांधों, विद्युत संयंत्रों का निर्माण, उद्योगों की स्थापना आदि जैसी विकासात्मक गतिविधियों का पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। पर्यावरण को हुए नुकसान का आकलन करने के लिए ईआईए शुरू किया गया था।
- 27 जनवरी 1994 को केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के तहत एक ईआईए अधिसूचना जारी की थी, जिसमें मंत्रालय से अनुसूची I, श्रेणी क में उल्लिखित किसी भी परियोजना के लिए पर्यावरण मंजूरी अनिवार्य हो गई थी। लगभग 30 परियोजनाएं हैं जिन्हें पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) किए जाने के बाद केंद्रीय मंत्रालय से पर्यावरण मंजूरी की आवश्यकता होती है.
- आंध्र प्रदेश ने शिकायत की कि तेलंगाना सरकार ने अनुसूची 1 के तहत नदी परियोजनाओं के लिए केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्रालय से पर्यावरण मंजूरी नहीं मांगी है।
- श्रेणी क में उल्लिखित परियोजनाओं को राज्य सरकार द्वारा मंजूरी दी जाती है|